

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103003702011

दांडिक प्रकरण क.-86 / 11

संस्थापित दिनांक-15.03.11

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।अभियोजन	
विरुद्ध	
01-चन्द्रप्रकाश पुत्र कंछेदी लाल कोली उम्र 24 साल निवासी पसियापुरा चंदेरी।आरोपी	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:- श्री बजाज अधिवक्ता।

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 24.05.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 292 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03- अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी एस एस गौर ने दिनांक 05.02.11 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध की कि ६ टना दिनांक को कस्बा भ्रमण में एचसी जंगबहादुर सिंह, एचसी प्रेमनारायण, आर0 सुभाष धाकड के कस्बा का भ्रमण कर हाट में यातायात व्यवस्था करते में जय मुखविर द्वारा सूचना मिली कि कागजी बाजार में चंद्र प्रकाश कोली दुकान पर अश्लील चित्रों वाली सीडी कैसिट रखे बेच रहा है। तस्दीक हेतु हमराही पुलिस बल के साथ बताई गई दुकान पर पहुंचा तो चंद्रप्रकाश कोली मिला। चेक किया तो काउंटर की रेक में दो सीडी अश्लील चित्रों की रखे मिलीं। उक्त दोनों सीडी कैसिटों को को पठान की दुकान पर चलाकर देखा तो अश्लील चित्र औरतों एवं मनुष्य के नग्न चित्रों की पाई। मौके पर साक्षी सुरेश व सुभाष धाकड के समक्ष जप्त कर चलाया एवं जप्ती बनायी गई। इसके बाद आरोपी को मौके पर गिरफ्तार किया गया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 72/11 के अंतर्गत भादवि की धारा 292 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04- प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 292 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया। आरोपी ने कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 05.02.11 समय 14.30 बजे स्थान कागजीपुरा इलेक्ट्रिक की दुकान चंदेरी पर अपने आधिपत्य में दो सीडी अश्लील चित्रों की लोक प्रदर्शन के आशय से अपने आधिपत्य में अवैध रूप से पाये गये ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 सुरेश परिहार, अ.सा. 02 सुभाष धाकड़, अ.सा. 03 एस एस गौर, अ.सा. 04 प्रेमनारायण की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 02 सुभाष धाकड़ ने अपने कथन में बताया है कि दिनांक 05.02.11 को वह थाना चंदेरी में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त साक्षी के अनुसार वह, प्रेमनारायण एवं एएसआई गौर कस्बा भ्रमण पर गए थे और तब सूचना मिली थी कि आरोपी की दुकान पर अश्लील सीडियां मिलती हैं। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी से अश्लील सीडी प्रपी 02 के अनुसार जप्त की गई थीं जिसके बी से बी भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी को प्रपी 03 के अनुसार गिरफ्तार किया गया था। अपने प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी का कहना है कि वे चार लोग कस्बा भ्रमण पर गए थे। उक्त साक्षी के अनुसार वे चारों लोग मोटरसाईकिल से गए थे। उक्त साक्षी के अनुसार उन्होंने सीडी चलाकर नहीं देखी थीं तथा उस पर अश्लील कवर के आधार पर वह उसे अश्लील कह रहा है। उक्त साक्षी ने उसके समक्ष जप्तशुदा सीडी प्रस्तुत किए जाने पर बताया है कि उक्त जप्तशुदा सीडी एक या दो हैं जो आरोपी की दुकान से जप्त की गई थीं। अ.सा. 01 सुरेश परिहार पक्षद्रोही हो गया है। उक्त साक्षी ने घटना की कोई जानकारी न होना व्यक्त किया है। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी से उसके सामने प्रपी 02 के अनुसार जप्ती की कार्यवाही की गई थी। उक्त साक्षी के अनुसार पुलिस वालों ने उससे हस्ताक्षर करा लिए थे।

08— अ.सा. 03 एस एस गौर ने अपने कथन में बताया है कि वह दिनांक 05.02.11 को थाना चंदेरी में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त साक्षी के अनुसार उसके साथ आरक्षक जंग बहादुर, प्रेमनारायण एवं सुभाष मौजूद थे जो कस्बा भ्रमण के लिए निकले थे। अ.सा. 03 के अनुसार उन्हें सूचना मिली थी कि आरोपी अपनी इलेक्ट्रोनिक की दुकान पर अश्लील सीडियां बेच रहा है। अ.सा. 03 के अनुसार मौके पर पहुंचने पर सीडियां मिलीं जिन्हें चलाकर देखने पर उनमें अश्लील सामग्री पाई गई थी। उक्त साक्षी के अनुसार प्रपी 02 के अनुसार जप्ती की कार्यवाही की गई थी तथा आरोपी को प्रपी 03 के अनुसार गिरफ्तार किया गया था एवं थाना लौटने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी 04 लेखबद्ध की थी। उक्त साक्षी ने सीडी आर्टिकल ए-01 एवं ए-02 जप्त किया जाना बताया है। उक्त साक्षी के अनुसार सूचना मिलने के दस मिनट में वे चारों लोग दुकान पर पहुंच गए थे। उक्त साक्षी के अनुसार उसने प्रकरण में नक्शामौका नहीं बनाया। अ.सा. 04 प्रेमनारायण ने अपने कथन में बताया है कि उसके द्वारा प्रकरण में साक्षी सुरेश एवं सुभाष के कथन अंकित किए गए थे। उक्त साक्षी ने प्रकरण में रवानगी एवं वापसी सान्हा प्रपी 05 प्रस्तुत किया है जिसके ए से ए भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त साक्षी के अनुसार वह सीडी जप्त करने मौके पर नहीं गया था और न ही मौके पर गया था।

09— प्रकरण में अभियोजन द्वारा जो उपरोक्त साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि अ.सा. 01 पक्षद्रोही हो गया है तथा उसने अभियोजन की कहानी का कोई समर्थन नहीं किया है। अ.सा. 02 एवं अ.सा. 03 के अनुसार वे लोग मौके पर घटना दिनांक को पहुंचे थे। दोनों साक्षीगण के अनुसार प्रेमनारायण भी उनके साथ गया था, किंतु अ.सा. 04 प्रेमनारायण ने अपने कथन में इस बात से इंकार किया है कि वह मौके पर गया था। अ.सा. 04 ने अपने कथन में बताया है कि उसने प्रकरण में मात्र कथन अंकित किए हैं तथा उसके समक्ष कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई। इस प्रकार उक्त साक्षी जो कि पुलिस का साक्षी है ने अपने कथनों में दोनों साक्षीगण के विपरीत कथन किया है। प्रकरण में जप्ती पत्रक प्रपी 02 का एक साक्षी अ.सा. 01 पक्षद्रोही हो गया है तथा दूसरा साक्षी अ.सा. 02 ने उसके समक्ष जप्ती होना बताया है। आरोपी की ओर से ऐसी कोई बचाव साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि अभियोजन द्वारा प्रकरण में आरोपी को झूठा फंसाया गया है। जहां तक अ.सा. 04 की साक्ष्य का प्रश्न है तो उक्त साक्षी ने प्रकरण में साक्षीगण के कथन अंकित करना बताया है, किंतु मात्र इस आधार पर कि उक्त साक्षी ने अपने कथनों में यह कथन किया है कि वह कस्बा भ्रमण के लिए नहीं गया था, यह निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता कि अभियोजन द्वारा प्रकरण में झूठा मामला बनाया गया है।

10— अ.सा. 02 एवं अ.सा. 03 ने स्पष्ट रूप से अपने कथनों में बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी के आधिपत्य से उक्त सीडी प्रपी 02 के अनुसार जप्त की गई थी। अ.सा. 03 के अनुसार सीडी के चित्र पर अश्लील पिकचर थी तथा उनको चलाकर देखने पर उनमें अश्लील सामग्री पाई गई। प्रकरण में जप्तशुदा आर्टिकल ए-01 एवं ए-02 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है तथा जिस पर अश्लील पिकचर होना दर्शित हो रहा है। अ.सा. 04 द्वारा प्रकरण में रवानगी एवं वापसी सान्हा प्रपी 05 प्रस्तुत किया गया है जिसके अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त घटना दिनांक को अ.सा. 03 गौर तथा अन्य साक्षीगण रवाना हुए थे और वे वापस आए थे तथा वापसी पर आरोपी के विरुद्ध उक्त अपराध पंजीबद्ध किया था। इस प्रकार अ.सा. 02 एवं अ.सा. 04 की साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी की दुकान पर उक्त अश्लील सीडी लोक प्रदर्शन के लिए थी तथा वह विक्रय के लिए रखी गई थी। और इस प्रकार आरोपी का उक्त कृत्य भादवि की धारा 292 के अंतर्गत एक अपराध है, क्योंकि उक्त धारा के अंतर्गत यह अभिलिखित है कि यदि कोई व्यक्ति कोई अश्लील सामग्री को लोक प्रदर्शित करेगा या उसे अपने कब्जे में रखेगा तथा विक्रय के लिए रखेगा या विक्रय करेगा तो वह अपराध है। प्रस्तुत प्रकरण में आरोपी के आधिपत्य से अश्लील सीडी जप्त होना प्रमाणित हो रहा है। अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि आरोपी उक्त जप्तशुदा सीडी जो कि अश्लील थी, को अपनी दुकान पर लोक प्रदर्शित करते हुए विक्रय हेतु रखा हुआ था।

11— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में सफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 292 के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है। आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। प्रस्तुत प्रकरण शमन विचारणीय है अतः आरोपी को दंड के प्रश्न पर सुनने की आवश्यकता नहीं है।

12— आरोपी के विद्वान अधिवक्ता श्री बजाज का निवेदन है कि उक्त अपराध आरोपी का प्रथम अपराध है और उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः उनका निवेदन है कि आरोपी को परीक्षा का लाभ देकर छोड़ दिया जावे। प्रकरण में स्पष्ट है कि

आरोपी द्वारा उक्त अपराध कारित किया गया है तथा आरोपी द्वारा अश्लील सीडियां अपनी दुकान पर रखी गईं एवं उनका प्रदर्शन किया गया। आरोपी द्वारा कारित अपराध समाज की नैतिकता को प्रभावित करता है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यदि आरोपी को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो उसका गलत संदेश समाज में जाने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 एवं 4 का लाभ दिया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता।

13— जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपी को ऐसे दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें भविष्य में ऐसे अपराध से रोके और साथ ही उनके लिए शिक्षाप्रद हो। आरोपी को ऐसे दण्डादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें न केवल विधिक प्रक्रिया के प्रति गंभीर करे, बल्कि उन्हें यह भी बोध हो कि यदि उसके द्वारा भविष्य में अश्लील चित्रों का प्रदर्शन किया जाता है तो वह समाज की नैतिकता के विपरीत होगा और साथ ही एक सभ्य समाज में इस प्रकार के अश्लील चित्रों को किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं किया जाएगा। आरोपी को यह भी ज्ञान हो कि यदि किसी के द्वारा ऐसे अश्लील चित्रों का प्रदर्शन किया जाता है तो वह एक अपराध है तथा इसके गंभीर परिणाम उसे भुगतने पड़ सकते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखना उचित होगा कि आरोपी को कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है तथा आरोपी की आयु लगभग 24 वर्ष है एवं वह एक नवयुवक है। अतः ऐसी दशा में यदि आरोपी को कारागार के दंडादेश से दंडित किया गया तो इसका प्रतिकूल प्रभाव न केवल उसकी मानसिक एवं आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा, बल्कि आरोपी का भविष्य भी प्रभावित हो सकता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में आरोपी को भा.द.वि. की धारा 292 के अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी 07 दिवस का साधारण कारावास भोगेगा। प्रकरण में अभियोजन की ओर से क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई तर्क नहीं किया गया और अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य भी नहीं आई है, जिससे कि फरियादी को क्षतिपूर्ति दिलाया जाना समीचीन प्रतीत होता हो।

14— आरोपी के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

15— प्रकरण में जप्तशुदा दो सीडी कैसिट अश्लील चित्रों वाली मूल्यहीन होने से अपीलवाधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन हो।

16— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द. प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)